नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 273.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (पशु चिकित्सा कंपाउंडर) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पशु चिकित्सा कंपाउंडर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी पशु चिकित्सा कंपाउंडर भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं, आदि: भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. षिथिल करने की षक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवष्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेष द्वारा षिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विषेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पशु चिकित्सा कंपाउंडर	1* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 4 (रु. 25500-81100/-)	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवार से अपेक्षित षैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेषों या आदेषों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	**आवष्यकः—** (i) केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से आष्व उपचार में पषु चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र के साथ जैविक विज्ञान में इंटरमीडिएट।

टिप्पणः— आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित कि गई है।) **टिप्पणः—** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(ii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के प्रथम या द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट और उसके अनुसूची–II में अधिकथित राज्य पशु चिकित्सा परिषद या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत से मान्यता प्राप्त अर्हता होना आवष्यक है। **वांछनीयः—** पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ आष्व पशु चिकित्सा अस्पताल में पशु चिकित्सा कंपाउंडर या पशु चिकित्सा ड्रेसर के रूप में 5 वर्षीय कार्यानुभव होना चाहिए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और षैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दषा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दषा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' के लिए विभागीय पुष्टि समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :— 1. उप निदेषक, — अध्यक्ष 2. सहायक निदेषक — सदस्य 3. पषु चिकित्सा अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/12/2017–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 24th August, 2017

G.S.R. 273.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Veterinary Compounder) Recruitment Rules, 1988 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Veterinary Compounder in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Veterinary Compounder, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix** -The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen the Other Backward class and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Veterinary Compounder	01* (2017) *Subject to variation dependent on work	General Central Service Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 (Rs. 25500-81100/-)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) **Note:-** In the case of recruitment made through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential: -** (i) Intermediate in Biological Sciences with Veterinary Course certificate in Equine treatment from an institution recognised by the Central or the State Governments. (ii) must possess recognised qualification specified in the first or second Schedule to the Indian Veterinary Council Act 1984 (52 of 1984) and registered with the State Veterinary Council or Veterinary Council of India as laid down in Schedule-II thereof. **Desirable: -** Bachelor of Science in Veterinary Sciences with five years work experience as Veterinary Compounder or Veterinary Dresser in an Equine Veterinary Hospital

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	two years	By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee for Group `C' consists of:- (i) Deputy Director - Chairman (ii) Assistant Director - Member (iii) Veterinary Officer - Member	Not applicable.

[F. No. 23011/12/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 274.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, लेखा अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** .- वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।